

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केंद्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लखसर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्म सॉल्टर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हरिद्वार में रुड़की-लखसर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्म सॉल्टर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आ रही संरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

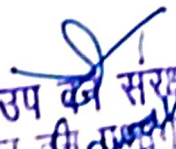
क्र0सं0	भूमि की किरम	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	संरक्षित वन भूमि	18300.00	4.00	73200.00
	योग	18300.00	4.00	73200.00

उपरोक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
लखसर रेन्ज (हरिद्वार)


वज क्षेत्राधिकारी
रुड़की रेन्ज (हरिद्वार)


अधिरासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड सी0मि0वि0
देहरादून


उप वन संरक्षक
हरिद्वार की, हरिद्वार